उप - विधियाँ

टिस्को वर्क्स इन्जिनियरिंग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लि० जमशेदपुर की उपविधियाँ ।

TISCO WORKS ENG. CO-OP HOUSING SOCIETY LTD. JAMSHEDPUR.

नाम और पता ।

1§ टिस्को वर्क्स इन्जिनियरिंग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, जमशेदपुर, जो इसमें आगे "समिति" के रूप में निर्दिष्ट है, बिहार-उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम §बिहार एण्ड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाईटीज ऐक्ट § §अधिनियम 6, 1935§ के अधीन सहकारी समिति के रूप में रजिस्ट्रीकृत है । इसका रजिस्ट्रीकृत पता सी०ई०डी०डी०सेन्ट्रल कन्सट्रक्शन फिल्ड ऑफिस टिस्को वर्क्स, डाकघर :- बिष्टुपूर, थाना :- बिष्टुपूर, जिला :- सिंहभूम होगा । पते में कोई परिवर्तन होने पर इसकी सूचना परिवर्तन के पन्द्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, बिहार, यदि कोई वित्त पोषक बैंक हो तो उसे, बिहार सहकारी संघ §बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन §लि० पटना, समिति के सदस्यों और उसके लेनदारों को दे दी जायगी ।

प्रवर्तन - क्षेत्र

2§ इसका प्रवर्तन क्षेत्र सोनारी और उसके 5 मील की परिधि के भीतर सीमित रहेगा ।

उद्देश्य

3§ समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

§क§ खरीद, बन्धक, पट्टा विनिमय, दान द्वारा या अन्यथा भूमि खरीदना या अर्जित करना ;

§ख§ समिति की अपेक्षाओं के अनुकूल, सड़क, पार्क, क्रीड़ा-स्थल विद्यालय अस्पताल, जलकर, §वाटरवर्क्स§, बाजार, डाकघर, क्लब, पुस्तकालय, सामुदायिक भवनों और अन्य सामाजिक सुख-सुविधाओं के लिए भूमि रखना ;

§ग§ समिति के सदस्यों के फायदे के लिए गृह-स्थलों के रूप में भूमि रखना ;

(घ) समिति के सामान्य उपयोग के लिए भवन-निर्माण या अन्य निर्माण करना या करवाना ;

(ङ) सदस्यों के नये आवास-गृह या अन्य भवन बनाना या बनवाना और उनमें स्वच्छता बिजली और जल का कनेक्शन लगाना ;

(च) भूमि, गृह-स्थल, भवन और अन्य सभी चल या अचल सम्पत्ति को धारण करना, बेचना, बन्धक करना, भाड़ा या किस्त जरीद पर पट्टे पर देना या अन्यथा निबटना, जैसा कि समिति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो ;

(छ) सदस्यों के फायदे के लिए सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक, शैक्षिक, लोक-स्वास्थ्य या चिकित्सा संस्थाओं को स्थापना और अनुरक्षण करना ;

(ज) समिति के कारबार के लिए अपेक्षित निधि जुटाना ;

(झ) समिति के भवनों को मरम्मत करना, उनमें हेर-फेर करना या अन्यथा उनके बारे में कार्रवाई करना ;

(ञ) भूमि को पट्टे या उप-पट्टे पर देना, उसे अभ्यर्पित और अभ्यर्पण स्वीकार करना; किसी भी भू-धृति को भूमि के सम्बन्ध में कार्रवाई करना ;और

(ट) पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति और सामान्य सदस्यों के आराम, सुविधा और उनके आर्थिक हित के लिए सभी आवश्यक और समोचीन काम करना ।

सदस्यता

4(1) समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकेंगे जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हों और प्रवर्तन-क्षेत्र के भीतर घर लेना चाहते हों तथा जिन्होंने रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया हो या जो निदेशक-बोर्ड

...3

द्वारा बाद में सदस्य बनाये जाएं या जो उपविधि 9 के अनुसार ऐसे सदस्यों के नाम निर्देशिती या विधि-वारिस हों। (टिस्को वर्क्स इन्जिनियरिंग को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि० के सदस्य एवं कर्मचारी –

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि –

(क) वह 18 वर्ष से कम उम्र का हो,

(ख) वह समिति या सम्बद्ध समिति का वैतनिक कर्मचारी हो ;

(ग) वह विकृत चित्त का हो ;

(घ) उसने दिवालिया या शोधाक्षम के रूप में न्याय निर्णीत किये जाने के लिये आवेदन किया हो या वह अप्रमाणित दिवालिया अथवा अनुन्मोचित शोधाक्षम व्यक्ति हो ; या

(ङ.) उसे ऐसे अपराध के लिए दंडादेश दिया गया हो जो राजनीतिक स्वरूप के अपराध से भिन्न या जिसमें नैतिक अपचार अंतर्ग्रस्त हो और ऐसा दंडादेश न तो उलटा गया हो और न अपराध क्षमा कर दिया गया हो।

(5) सदस्य के रूप में प्रवेश पाने और शेयर के आवंटन के लिए आवेदन समिति द्वारा विहित फारम में, अवैतनिक सचिव के पास किया जायगा। ऐसे हरएक आवेदन का निदेशक-बोर्ड निपटारा करेगा, जिसे प्रवेश मंजूर करने या कारण नामंजूर करने की शक्ति होगी। प्रबन्ध समिति का विनिश्चय आवेदक को विनिश्चय के पन्द्रह दिनों के भीतर संसूचित कर दिया जायगा। जिस व्यक्ति का सदस्यता का आवेदन प्रबन्ध समिति ने नामंजूर कर दिया हो वह विनिश्चय संसूचित किये जाने के साठ दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

...4

§6§ कोई भी व्यक्ति अधिकारपूर्ण सदस्य बनने का दावा नहीं कर सकेगा ।

§7§ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस समिति के प्रवर्तन-क्षेत्र के भीतर किसी दूसरी सहकारी आवास समिति का सदस्य हो, इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा ।

§8§ हरएक व्यक्ति समिति का सदस्य बनने के लिए अपने आवेदन के साथ 5=00 §पाँच§ रु० प्रवेश-फीस देगा । यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए, तो प्रवेश फीस लौटा दी जाएगी । ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने समिति के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गये आवेदन पर हस्ताक्षर किये हों, समिति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रवेश-फीस देंगे, जिसे नहीं देने पर उनके नाम समिति की सदस्यता से हटा दिए जाएँगे । हरेक सदस्य को उप-विधियों की एक प्रति दी जाएगी ।

§9§ समिति का हरएक सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशित कर सकेगा, जिसे, उप-विधि 15 के अधीन पूंजी में उसका शेयर या हित अन्तरित किया जाएगा, या शेयर या हित का उस मूल्य अथवा उप-विधियों के अधीन देय कोई राशि चुकाई जाएगी । नाम निर्देशन करनेवाला सदस्य, समय-समय पर, ऐसा नाम निर्देशन प्रतिसंगृहित या उसमें हेर-फेर कर सकेगा । ऐसा नाम निर्देशन, उसकी मृत्यु की दशा में - समिति द्वारा प्रभावी किया जाएगा ; बशर्ते कि ----

(i) नाम-निर्देशन लिखित हो और मृत व्यक्ति ने अनुप्रमाणित करने वाले कम-से-कम दो साक्षियों की उपस्थिति में, उसपर हस्ताक्षर किया हो ;

(ii) नाम-निर्देशन इस प्रयोजनार्थ रखी गई समिति की बही में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो ;

(iii) ऐसा नाम-निर्देशन, उसकी प्राप्ति के तीन महीने के भीतर, समिति द्वारा निपटा दिया जाएगा ; और

...5

(iv) नाम-निर्देशिती सभी सदस्य हो सकेगा जब निर्देशक-बोर्ड उसे इस रूप में स्वीकृत करे ।

शेयर पूंजी

10§ समिति की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20,00,000=00 §बीस लाख§ रु0 होगी जो प्रति शेयर 100=00 §सौ§ रुपए के शेयरों की होगी ।

शेयर

11§क§ हरएक सदस्य से समिति के पाँच शेयर लेने और उसके मूल्य का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी, जो अधिक-से-अधिक दस महीने की, मासिक किस्तों में देय होगा ।

§ख§ हरेक व्यक्ति से 5=00 §पाँच§ रु0 प्रवेश-फीस के अतिरिक्त, दो शेयरों के मूल्य के बराबर 200=00 §दो सौ§ रुपया देने की अपेक्षा की जाएगी, जो शेयरों के आवेदन पर प्रथम किस्त समझा जाएगा ।

§ग§ आगे, हरएक सदस्य से भूमि की प्रक्कलित कीमत के बराबर रकम या 25,000 §पच्चीस हजार§ रु0 जो भी कम हो, अतिरिक्त शेयर लेने और उसके मूल्य का भुगतान करने के लिए भी कहा जाएगा ।

§घ§ फिर भी, कोई भी सदस्य, समिति के 100 शेयर या उसकी कुल शेयर पूंजी के 1/5 वें भाग से अधिक शेयर नहीं लेगा ।

12§ हरएक सदस्य को एक शेयर प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिस पर अध्यक्ष या सचिव और दो अन्य निदेशकों के हस्ताक्षर रहेंगे और जिसमें उसके द्वारा धारित शेयर दिखाए रहेंगे । शेयर प्रमाण-पत्र खो जाने पर, उसकी दूसरी प्रति देने के लिए। रु0 की फीस ली जाएगी ।

13§ निदेशक-बोर्ड किसी सदस्य को अपने शेयर का भुगतान नहीं कर सकेगा बशर्ते कि वह, अकेला §किस्ती खरीदार§ या पट्टेदार या भाड़ा अन्तरिती के रूप में समिति में कोई हित न रखता हो साथ ही उसने कम-से-कम एक वर्ष तक समिति का शेयर धारण किया हो तथा वापसी के लिए छः

...6

Scanned with CamScanner

महीने की नोटिस दी हो । फिर भी, निदेशक-बोर्ड, किसी भी सदस्य को अपने द्वारा धारित शेयर-मूल्य अपने अन्तिम कुछ किश्तों में समायोजित कराने की अनुज्ञा दे सकेगा । जिससे कि (एक शेयर-मूल्य को छोड़कर) पूरी बकाया रकम खतम हो जाए बशर्ते कि इससे समिति की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े ।

14(क) किसी भी सदस्य को अपने द्वारा धारित कोई शेयर आन्तरित करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी, जबतक कि आन्तरिती सदस्य या सदस्य होने का पात्र होनेवाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे समिति सदस्य के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हो ।

शेयर का अन्तरण तब तक प्रवृत्त न होगा जबतक कि निदेशक बोर्ड उसे मंजूर न करे । हरएक अन्तरिती केवल 1 रु० फीस देगा ।

(ख) शेयर प्रमाण-पत्रों के अन्तरण के पृष्ठांकन पर, अध्यक्ष, या सचिव जिसे भी निदेशक बोर्ड ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, हस्ताक्षर करेगा ।

15(क) समिति, किसी सदस्य के मृत्यु होने पर, पूंजी में उसके शेयर या हित को, उप-विधि 9 के अनुसार, नाम निर्देशित व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी, या यदि इस प्रकार नाम निर्देशित कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी जो निदेशक-बोर्ड को इन उप-विधियों के अनुसार यथास्थिति उसका वारिश या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, परन्तु समिति मृत सदस्य का शेयर या हित सदस्य की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर, ऐसे नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि अथवा आवेदन में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे सदस्य को, जो इसके लिए अर्हित हो, अन्तरित कर देगी ।

(ख) पूर्वोक्त के अध्यधीन, समिति मृत सदस्य को समिति द्वारा देय अन्य सभी धन यथास्थिति , ऐसे नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनि को चुका सकेगी ।

(ग) समिति द्वारा इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार किये गये

...

सभी अन्तरण और भुगतान, किसी व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के प्रति विधिमान्य और प्रभावी होंगे ।

भुगतान में व्यतिक्रम

16) यदि कोई सदस्य किसी शेयर की किस्त तीन महीने से अधिक समय तक नहीं चुका पाए तो निदेशक बोर्ड ऐसे सभी शेयरों को, उनके मददे किए गए सभी भुगतानों सहित समपहृत और इन शेयरों से लगे सदस्यता अधिकार को समाप्त घोषित कर सकेगा । इस प्रकार समपहृत शेयर समपहरण की नोटिस तारीख से छः महीनों के भीतर सभी बकायों का और प्रति मेयर आठ आना स्वीकरण फीस का भुगतान करने पर स्वीकृत किए जा सकेंगे । समपहृत शेयर की रकम आरक्षित निधि में जमा की जाएगी ।

दायित्व

17)क) समिति के ऋणों के सम्बन्ध में किसी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित शेयरों के अंकित मूल्य के दुगने तक सीमित रहेगा ।

)ख)(i)कोई भूतपूर्व सदस्य, जैसा कि उप-विधि 17)क) में उपबन्ध किया गया है समिति को देय उस ऋणों के लिए जो उसकी सदस्यता समाप्त होने की तारीख को विद्यमान थे, उस तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए जिम्मेवार रहेगा ।

(ii) मृत सदस्य की सम्पदा, जैसा कि उप-विधि 17)क) में उपबन्ध किया गया है, समिति को देय उन ऋणों के लिए जो उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे, उसकी मृत्यु के बाद दो वर्षों की अवधि तक दायित्वाधीन रहेगी ।

निधि

18) समिति निम्नलिखित स्त्रोतों से निधि जुटा सकेगी :-

)क) शेयर अभिदाय,

)ख) सरकार या अन्य स्त्रोतों से उधार,

...8

Scanned with CamScanner

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी समिति का पूर्व अनुमोदन लेकर डिवेंचर जारी करके,

(घ) सदस्यों द्वारा किए गए निक्षेप,

(ङ) संदान और अनुदान,

(च) प्रवेश फीस और अन्य फीस

(छ) समिति द्वारा बनाई गई कॉलोनी में सड़क, जलापूर्ति, रोशनी और स्वच्छता के अनुरक्षण मद्दे अभिदाय और

(ज) समिति द्वारा बनाई गई कॉलोनी में सामाजिक, शैक्षिक, आमोद-प्रमोदात्मक और चिकित्सा संस्थाओं मद्दे अभिदाय ।

उधार

19) समिति, रजिस्ट्रार सहकारी समिति के अनुमोदन से निदेशक बोर्ड द्वारा यथाविनिश्चित दरों और निबंधनों पर, सरकार और अन्य स्त्रोतों से अपनी अपेक्षानुसार धन उधार लेगी ।

अधिकतम उधार सीमा

20) समिति का कुल उधार चाहे निक्षेप के जरिये हो या अन्यथा, और चाहे सदस्यों से लिया जाय या अन्य स्त्रोतों से किसी भी समय उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी और आरक्षितियों के दस गुने से अधिक न होगा ।

प्रबन्ध

निदेशक-बोर्ड

21) शेयरधारियों के सामान्य निकाय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले विनिश्चयों के अध्यधीन, समिति के मामलों का कार्यकारी प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा । निदेशक बोर्ड में ।। ग्यारह सदस्य रहेंगे, जिनमें से सभी/एक तिहाई का नाम निर्देश रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार तीन वर्षों/ एक वर्ष के लिए करेगा ।

22(i) निदेशक बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष पर वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के बीच से शेयरधारियों के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित किये

....9

जाएँगे । कोई अन्तरिम रिक्ति या ऐसी कोई रिक्ति, जो मूल निर्वाचन के समय भरी नहीं गई हो, मूल अवधि के अन्वसित भाग के लिए निदेशक-बोर्ड के शेष सदस्यों द्वारा सहयोजन के जरिये भरी जा सकेगी । सामान्य निकाय निदेशक-बोर्ड के किसी भी सदस्य को किसी भी समय निकालने और उसके स्थान पर किसी अन्य को निर्वाचित करने के लिए सक्षम होगा तथा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य केवल मूल अवधि के अन्वसित भाग के लिए ही पद धारण करेगा ।

(ii) निदेशक-बोर्ड की कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति के कारण अवधि मान्य नहीं होगी ।

(iii) निदेशक-बोर्ड का कोई भी सदस्य, समिति के सचिव के पास त्याग-पत्र भेजकर किसी भी समय पदत्याग कर सकेगा, किन्तु ऐसा त्याग-पत्र निर्देशक-बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाने की तारीख से ही प्रभावी होगा ।

23) निदेशक-बोर्ड समिति का काम-काज संचालित करने के लिए हरएक दो महीने पर या उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, अपनी बैठक करेगा । निदेशक-बोर्ड की बैठक के लिए कोरम पाँच का होगा निदेशक के समक्ष रखे गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा । मत बराबर होने पर अध्यक्ष या अन्य पीठासीन सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । निदेशक-बोर्ड का कोई भी सदस्य निर्देशक बोर्ड की किसी बैठक में उस समय उपस्थित नहीं रहेगा जबकिसी ऐसे विषय पर, जिससे वह स्वयं हितबद्ध हो, विचार विमर्श किया जा रहा हो । बहुत ही आवश्यक स्थिति में, जब निदेशक बोर्ड की बैठक संयोजित करने के लिए पर्याप्त समय न हो, और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें समय-समय पर, निदेशक-बोर्ड द्वारा ऐसी प्रक्रिया विहित की जाए, सचिव कागज-पत्र परिचालित करके निदेशक-बोर्ड के प्राप्त आदेश कर सकेगा । परिचालन द्वारा किया गया ऐसा विनिश्चय, निदेशक-बोर्ड की अगली बैठक के समक्ष उनके अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा । यदि ऐसे परिचालन के दौरान कोई मतभेद उठ खड़ा हो, तो उस समय का विनिश्चय परिचालन द्वारा नहीं करके उसे निदेशक-बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा जाएगा ।

....10

Scanned with CamScanner

24। यदि निदेशक-बोर्ड का नियोजित सदस्य निदेशक-बोर्ड की चार लगातार बैठकों में उपस्थित न हो, तो निदेशक-बोर्ड उसे बोर्ड की सदस्यता से हटा सकेगा।

25। निदेशक-बोर्ड द्वारा समय-समय पर, पारित किये जाने वाले संकल्प के अध्यधीन, समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) अध्यक्ष समिति के सभी काम-काज पर सामान्य नियंत्रण रखेगा,

(ख) जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की शक्तियां लिखित रूप में प्रत्यायोजित की गई हो तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह निदेशक-बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा,

(ग) अध्यक्ष के समस्त नियन्त्रण के अध्यधीन, सचिव समिति के सभी मामलों पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा और, निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से समिति के स्टोक्स और अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

26(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सचिव, अथवा निदेशक-बोर्ड के कोई तीन सदस्य उन सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे जो समिति पर प्रभाव या दायित्व सृजित करते हों।

(11) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सचिव अथवा सचिव तथा निदेशक-बोर्ड के कोई अन्य सदस्य किसी भी मूल्य के चेक या भुगतान आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होंगे।

27(1) कोई भी व्यक्ति निदेशक-बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र न होगा, यदि वह -

(क) समिति का वैतनिक कर्मचारी हो, या

(3)

.....11

(ज) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो, परन्तु यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि अमुक व्यक्ति समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी है या नहीं, तो यह प्रश्न रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पास विनिश्चय के लिए भेजा जायगा जो अंतिम होगा, या

(ग) लिये गये किसी कर्ज या कर्जों के सम्बन्ध में वह समिति के प्रति व्यतिक्रमी हो ।

(2) समिति के निदेशक-बोर्ड का कोई सदस्य, सदस्य के पद पर न रह जायगा, यदि वह -

(क) समिति का वैतनिक कर्मचारी हो जाए, या

(ख) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो जाए, या

(ग) समिति के लिए गए किसी कर्ज या कर्जों के सम्बन्ध में व्यतिक्रम करे और यदि यह व्यतिक्रम तीन महीने तक जारी रहे, या

(घ) समिति के साथ की गई किसी संविदा में या समिति द्वारा प्राइवेट तौर पर या किसी नीलाम में की गई किसी खरीद-बिक्री में या उसकी ऐसी संविदा या संव्यवहार में, जिसमें कोई वित्तीय हित अभिग्रस्त हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हितबद्ध हो जाए अथवा समिति के किसी सदस्य की कोई ऐसी सम्पत्ति, जो उस सदस्य के या समिति के बकाये की वसूली के लिए नीलाम की जा रही हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खरीदे ।

(3) समिति का कोई भी पदाधिकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित से हितबद्ध नहीं होगा -

(i) समिति के साथ की गई संविदा से, या

...12

Scanned with CamScanner

(ii) समिति द्वारा प्राईवेट तौर पर या किसी नीलाम में की गई किसी ज़रोद बिक्री ले, या

(iii) विनिधान या उधार से भिन्न समिति को किसी ऐसी संविदा या संव्यवहार में, जिसमे वित्तीय हित अभिग्रस्त हो ।

§4§ समिति का कोई भी पदाधिकारी, समिति के किसी सदस्य की ऐसी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं ज़रीदेगा जो उस सदस्य के यहां समिति के बकाए की वसूली के लिए नीलाम की जा रही हो ।

28§ समिति को चुकाए गए सभी धन के लिये रसीद दी जायेगी । सदस्यों द्वारा चुकाए गये धन की रसीद पर, सचिव या इस कार्य के लिए निदेशक-बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति का कोई कर्मचारी हस्ताक्षर करेगा । सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों या अन्य समितियों या सरकार से उधार लेने की दशा में, रसीद या बंध-पत्र §बाड§ निदेशक बोर्ड के कम-से-कम तीन सदस्य निष्पादित करेंगे, जिसमे एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा ।

29§ निदेशक-बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित लेखे और रजिस्टर रखे, रजिस्ट्रार द्वारा की गई संपरीक्षा या निरीक्षण सम्बन्धी टिप्पणियां प्राप्त होने के चार महीनों के भीतर उन्हें सदस्यों की सामान्य बैठक में रखे, रजिस्ट्रार से पत्राचार करे और समिति से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करे ।

30§1§ निदेशक-बोर्ड को प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्य निकाय द्वारा स्वीकृत मान के अनुसार, और बजट आवंटन के भीतर, समिति के प्रबन्ध के लिए यथावश्यक व्यय करने की शक्ति होगी ।

§2§ समिति के वैतनिक पदाधिकारियों तथा सेवकों की भरती की पद्धति, सेवा-शर्तें, वेतनमान और भत्ता नियत करने, बढ़ाने या नियमित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों के

...13

Scanned with CamScanner

निबटारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, निदेशक-बोर्ड द्वारा बनाई गई तथा रजिस्ट्रार, सहयोग समिति द्वारा अनुमोदित कार्य-नियमावली द्वारा शासित होगी।

31§ कोई भी व्यक्ति समिति की सेवा की किसी कोटि में वैतनिक पदाधिकारी या सेवक के रूप में ऐसे रूप में और ऐसे मानक के अनुसार प्रतिभूति दिये बिना नियुक्त नहीं किया जायगा, जैसा कि निदेशक-बोर्ड, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उस समिति को या जिस समिति वर्ग में वह आती हो उसको सेवा की ऐसी कोटि के लिये नियत करे।

32§ कोई भी वैतनिक पदाधिकारी या सेवक समिति की सेवा की किसी कोटि में नहीं रखा जायगा, यदि उसमें निदेशक-बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार के अनुमोदन के यथा निर्देशित समय के भीतर ऐसे रूप में और ऐसे मानक के अनुसार प्रतिभूति नहीं दी हो, जैसा कि निदेशक-बोर्ड, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उस समिति को या जिस समिति वर्ग में वह आती हो उसकी सेवा की ऐसी कोटि के लिए, जिसमें वह काम कर रहा हो, निर्देशित करें।

33§ निदेशक-बोर्ड समिति के कार्य-संचालन के लिये अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली और इन उप-विधियों से संगत समनुबंधी नियम बनाने के लिये सक्षम होगा। ऐसे समनुबंधी नियम समिति की कार्यवृत्त-पुस्तक में दर्ज किए जायेंगे और उन्हें रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के पास अनुमोदन के लिये भेजा जायगा।

सामान्य निकाय

34§ सदस्यों का सामान्य निकाय समिति के प्रशासन से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्तिम प्राधिकार होगा। सामान्य निकाय समिति के कार्य और खास कर निदेशक-बोर्ड के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगा तथा ऐसी सभी कार्रवाईयां करने के लिये सक्षम होगा जो समिति के हित में आवश्यक समझी जाएँ।

....14

सामान्य बैठक तीन प्रकार की होगी --

(क) साधारण, (ख) असाधारण और (ग) विशेष ।

साधारण सामान्य बैठक हरेक वर्ष कम-से-कम एक बार सहकारिता वर्ष की समाप्ति से छः महीनों के भीतर आयोजित की जायगी । यदि संपरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित तुलना पत्र सहित कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नियत तारीख के पहले पूरी नहीं की गई हो, तो, लाभ के व्ययन के सिवा इन उप-विधियों में यथा उपबंधित साधारण सामान्य बैठक की सभी कार्यमदें बैठक में संपादित की जायेंगी । लाभ के व्ययन और संपरीक्षा-रिपोर्ट पर इस प्रयोजनार्थ की जानेवाली असाधारण सामान्य बैठक में या अगलेवार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जा सकेगा ।

असाधारण सामान्य बैठक निदेशक-बोर्ड द्वारा किसी भी समय या नामांकित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख के एक महीने के भीतर बुलाई जा सकेगी। विशेष सामान्य बैठक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों की अध्यपेक्षा पर समिति के मुख्यालय में ऐसे समय और स्थान पर बुलाई जायगी जैसा कि उस अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट हो । सचिव के लिए यह लाजिम होगा कि वह रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का आदेश प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर विशेष सामान्य बैठक आयोजित करे । उसके ऐसा न करने पर, रजिस्ट्रार या उस व्यक्ति, सदस्यों की एक पक्ष की या समिति की उप-विधियों में यथा उपबंधित नोटिस देने के बाद स्वयं बैठक बुला सकेगा और ऐसी बैठक की, समिति की उप-विधियों के अनुसार संयोजित विशेष सामान्य बैठक की सभी शक्तियां होंगी ।

35§ निदेशक-बोर्ड समिति के ऐसे नामांकित सदस्यों की एक सूची

...15

Scanned with CamScanner

रखेगा, जो सामान्य बैठकों में मतदान के लिए अर्हित हो सामान्य निकाय की प्रत्येक बैठक के पहले एक पखवारे के भीतर ऐसी सूची की प्रतियां उन सदस्यों को जो इसे लेना चाहे, इस निमित्त निदेशक-बोर्ड द्वारा यथाविहित फीस का भुगतान करने पर आपूर्ति करें। समिति की किसी सामान्य बैठक के लिए नियत तारीख के पूर्ववर्ती पखवारे में कोई सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

36§ उपस्थित रहने पर अध्यक्ष निकाय की बैठकों का सभापतित्व करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक का सभापतित्व करने के लिए किसी सभापति का चुनाव कर सकेगा। हरएक उपस्थित सदस्य का एक मत होगा। परोक्षी द्वारा मतदान की अनुमति न दी जायगी। मत बराबर होने पर बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

37§ सामान्य बैठक की नोटिस जिस तारीख की बैठक होनेवाली हो उसके कम-से-कम पूरे चौदह दिन पहले सभी सदस्यों को दे दी जाएगी, उसमें उस बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का स्थान, तारीख और समय उल्लिखित रहेंगे। कोई भी बैठक इस कारण अविधिमान्य न समझी जाएगी कि किसी सदस्य या सदस्यों को नोटिस प्राप्त नहीं हुई, किन्तु अवैतनिक सचिव को इस बारे में हमेशा उचित सावधानी बरतनी चाहिए कि नोटिस सभी सदस्य को दे दी जाय।

38§ सामान्य बैठक का कोरम तीस या सदस्यों की कुल संख्या की एक चौथाई का, जो भी कम हो, होगा। यदि कोरम एक घंटे के भीतर पूरा न हो तो अध्यक्ष यदि बैठक असाधारण सामान्य बैठक हो तो उसे विघटित कर देगा और यदि बैठक साधारण सामान्य बैठक या विशेष सामान्य बैठक हो तो उसे कम-से-कम पूरे सात दिन और अधिक-से-अधिक इक्कीस दिन बाद

...16

Scanned with CamScanner

को किसी तारीख के लिए स्थगित कर देगा । स्थगित बैठक में सम्पादित किया जाने वाला कार्य वही और उससे अभिन्न होगा जो मूल बैठक के लिए प्रस्तावित था । यदि ऐसी स्थगित बैठक पर भी कोरम पूरा न हो तो संकल्प, साधारण सामान्य बैठक को छोड़कर जिसमें संकल्प उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा ही पारित किए जा सकेंगे ।

39§ अध्यक्ष बैठक की सम्मति, से किसी बैठक को एक समय से दूसरे समय के लिए स्थगित कर सकेगा, किन्तु जिस बैठक का स्थगन हुआ हो उस बैठक में, अधूरे छोड़े गए कार्य से भिन्न कोई भी कार्य किसी स्थगित बैठक में सम्पादित नहीं किए जाएँगे ।

40§ सामान्य बैठक के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

§क§ समिति के पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य पर निदेशक-बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करके उस पर विचार करना ;

§ख§ समिति के पिछले वर्ष के संपरीक्षित लेखे पर विचार कर उसे अंगीकृत करना तथा इन उप-विधियों के अनुसार उस वर्ष के लाभ की व्यवस्था करना ;

§ग§ इन उप-विधियों के अनुसार, आगामी वर्ष के लिए निर्देशक-बोर्ड के सदस्यों को निर्वाचित करने ;

§घ§ यदि आवश्यक हो तो, आगामी वर्ष के लिए समिति के अधिक आन्तरिक संपरीक्षक निर्वाचित करना जो निदेशक बोर्ड का सदस्य के सदस्य न होंगे और उसका/उनका पारिश्रमिक नियत करना ;

§ङ§ आगामी वर्ष के लिए बजट मंजूर करना ;

§च§ विद्यमान उपविधियों में से किसी के संशोधन या निरसन पर विचार करना, जिसका सम्यक् नोटिस दे दी गई हो;

§छ§ निदेशक-बोर्ड के विनिश्चयों के विरुद्ध की गई अपीलों को

...17

Scanned with CamScanner

सुनवाई करना और उन पर विचार करना ;

(ज) वर्ष के लिए अधिकतम उधार-सीमा नियत करना ;

(झ) समिति के विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए उपसमितियां गठित करना ; और

(ञ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो प्रस्तुत किया जाय ।

41(क) यदि कोई सदस्य किसी तरह समिति को धोखा दे या यदि उसका आचरण ऐसा हो कि समिति के हित में उसका हटाया जाना आवश्यक हो, तो सामान्य बैठक ऐसे सदस्य को निष्कासित कर सकेगी । यदि किसी सदस्य के यहां बाकी धन की वसूली के लिए समिति को इजराय कराना पड़े तो निदेशक-बोर्ड उसे सदस्यता से हटा सकेगा । इस उपविधि के अधीन सदस्यता से इस प्रकार हटाये गए सदस्य को उससे समिति को प्राप्य कोई धन काटकर समिति द्वारा उसे देय सभी धन को चुका दिया जायगा । लेकिन उसकी शेयर-पूंजी उसे तब तक नहीं लौटायी जायेगी, तब तक की उपविधि 4 के अनुसार समिति का सदस्य होने का पात्र कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित शेयर खरीदने के लिए आगे न आए और जबतक कि इस प्रकार पुनः आवंटित शेयरों का मूल्य समिति को चुका न दिया जाये । जैसा कि उपविधि 17(ख) में उपबन्धित है निष्कासित सदस्य सदस्यता समाप्त होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि में समिति के उन ऋणों को चुकाने का भागी होगा जो ऋण सदस्यता समाप्त होने की तारीख को विद्यमान थे ।

(क) उपयुक्त उपखण्ड के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील, सदस्य को आदेश संसूचित किये जाने की तारीख के बाद होने वाली सामान्य निकाय की पहली बैठक में की जायगी ।

निधि - विनिधान

42) समिति अपना उन निधियों को, जिनका उपयोग कारबार में न

...18

Scanned with CamScanner

हुआ हो, निम्नलिखित किसी भी रूप में विनिहित कर सकेगी :-

(i) डाकघर बचत बैंक में ।

(ii) भारतीय न्यास अधिनियम (इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट), 1882 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में ।

(iii) रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार के अनुमोदन से किसी रजिस्ट्रीकृत समिति के शेयर या उसकी प्रतिभूति में ।

(iv) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित, बैंक का कारबार करने वाले किसी-किसी बैंक में ।

भूमि की खरीद और गृह-निर्माण

43§ सदस्यों की सामान्य बैठक द्वारा समय-समय पर पारित किये जाने वाले संकल्प के अध्याधीन निदेशक-बोर्ड को ऐसे सभी कार्य करने की पूरी शक्ति होगी, जिसे वह उप-विधि सं० 3 में विनिर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे । इसमें भूमि या गृह खरीदने, धारण करने, बेचने- विनिमय करने, बन्धक करने, किराया लगाने, पट्टे या उप पट्टे पर देने, अभ्यर्पित करने या अभ्यर्पण स्वीकार करने तथा गृह-निर्माण करने की शक्ति भी शामिल है ।

44§ निदेशक-बोर्ड निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा -

(i) सरकार से या सरकार के जरिये या अन्यथा भूमि खरीदना ;

(ii) इस प्रकार खरीदी गई भूमि को बसने लायक बनाना ;

(iii) गलियां और सड़के निकालना तथा भूमि को गृह-स्थलों के रूप में विभाजित करना ;

(iv) सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के हाथ उन शर्तों पर स्थल बेचना या पट्टा पर देना या उसके विषय में अन्यथा सव्यवहार करना, जैसा कि वह अवधारित करे ; और

...19

Scanned with CamScanner

(v) जल-आपूर्ति, जल-निकास, रोशनी, सामुदायिक भवन (हॉल), पुस्तकालय और सामान्य उपयोग वाले ऐसे ही निर्माणों का उपबन्ध करना या उन्हें बनाये रखना ।

गृह-निर्माण

45(i) समिति द्वारा अर्जित भूमि पर निदेशक-बोर्ड अपने द्वारा यथाविहित मानक वाले भवनों का निर्माण करेगा या करायेगा । यदि कोई साम सदस्य ऐसा चाहे तो, बोर्ड अन्य प्रकार के भवनों का निर्माण भी अपने हाथ में ले सकेगा, बशर्ते कि निदेशक-बोर्ड ने योजना अनुमोदित कर दी हो और सम्बद्ध सदस्य ने गृह-निर्माण प्रारम्भ करने के पहले अतिरिक्त लागत का भुगतान एक या एक से अधिक किस्तों में जैसा कि निदेशक -बोर्ड द्वारा अधिकथित किया जाए, कर दिया हो ।

(ii) जब स्थल अर्जित, अभिन्यस्त और वर्गीकृत कर दिये जाए, तो निदेशक-बोर्ड सदस्यों को स्थलों का चुनाव करने की अनुमति दे सकेगा, यदि दो या दो से अधिक सदस्य एक ही स्थल लेना चाहे, तो निदेशक-बोर्ड लाटरी द्वारा इस प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा । जब एक बार किसी सदस्य ने अपनी इच्छा से अथवा लाटरी द्वारा अपने स्थल का चुनाव कर लिया हो, तो यह चुनाव अन्तिम होगा और सम्बद्ध सदस्यों के बीच पारस्परिक ठहराव के अतिरिक्त अन्यथा प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकेगा । किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(iii) निदेशक-बोर्ड एक ही आकार के विभिन्न प्लॉटों के लिए उनकी स्थिति अनुसार, विभिन्न कीमतें नियत कर सकेगा ।

गृह-आवटन

46(क) हरेक सदस्य, समिति में प्रवेशपाने के समय, वह गृह-वर्ग

...20

Scanned with CamScanner

उल्लिखित करेगा जिस वर्ग का वह गृह वह समिति से किश्तों-खरीद द्वारा अर्जित करना चाहता हो और, उप-विधि 47§क§ §i§ में यथा उपबन्धित आशय का तथा सदस्य द्वारा संविदा का पालन न किये जाने पर समिति को होने वाली हानि की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का भी करार निष्पादित कर देगा।

§ख§ §i§ जैसे ही गृह पूर्णतः निर्मित और किश्तों-खरीद-पद्धति से सदस्यों को किराये पर देने लायक हो जाएं, वैसे ही उनका मूल्यांकन कर लिया जायेगा और प्रत्येक गृह का मूल्य, समिति द्वारा इसके प्रयोजनार्थ रखी जाने वाली बही में सम्बद्ध सदस्य के नाम के सामने लिख दिया जायेगा।

§ii§ समिति गृहों का मूल्य उन सदस्यों से जो उन्हें दखल करें निदेशक-बोर्ड द्वारा यथाअवधारित किस्तों में वसूल करेगी और सदस्यों से इस प्रकार वसूल की गई किराए की रकम इसके प्रयोजनार्थ लिए गए कर्जों की अदायगी मद्दे विप्रेषित करेगी।

47§क§ §i§ किश्तों खरीद से अभिप्रेत यह है कि समिति कोई चल या अचल सम्पत्ति किसी सदस्य द्वारा विहित फारम में यह करार निष्पादित करने पर उसके हवाले कर देगी। वह सदस्य निर्धारित लागत और समिति द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली दर पर ब्याज जो $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक न होगा, अधिक-से-अधिक 20 वर्षों की अवधि के भीतर मासिक किश्तों में समिति को चुका देगा। परन्तु स्वामित्व का अधिकार तब तक समिति का ही रहेगा जब तक कि उस पर देय मूलधन और ब्याज सहित सभी रकमें, समिति को चुका न दी जायें। तीन लगातार किश्त न देने, समिति को करार रद्द करने, सदस्य को उसे आवंटित सम्पत्ति से बेदखल करने और किसी अन्य सदस्य के साथ फिर से बन्दोबस्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में, केवल मूलधन मद्दे समिति को चुकाई गई किश्तों की रकम, निदेशक-बोर्ड द्वारा यथाविनिश्चित अनुपात अवानुषंगिक व्यय

Scanned with CamScanner

अवशेष ब्याज आदि घटाकर सम्बद्ध सदस्य को लौटा दी जाएगी । सदस्यों की मृत्यु या उसकी स्थायी असमर्थता या सदस्यता की समाप्ति की दशा में, उसके विधिक वारिसों पर समिति की सभी बकाया रकमें चुकाने का दायित्व होगा और ऐसा न करने पर समिति की सभी बकाया रकमें चुकाने का दायित्व होगा और ऐसा न करने पर सम्पत्ति किश्त का भुगतान करने वाले सदस्य से ले ली जाएगी ।

(ii) गृह तब तक समिति की सम्पत्ति बना रहेगा जब तक सदस्य पूरा बकाया न चुका दे । इस अवधि में सदस्य, निदेशक बोर्ड द्वारा अवधारित दर पर समिति को नाम मात्र का किराया चुकाएगा । पूरा बकाया चुका दिये जाने पर स्वामित्व सम्बद्ध सदस्य को अन्तरित कर दिया जाएगा । समिति आवंटी सदस्य के पक्ष में एक निक्रय विलेख निष्पादित कर स्थल और भवन उसे हस्तांतरित कर देगी । गृह-स्वामी से, उपयुक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी, समिति का कम-से-कम एक शेयर धारण करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(iii) यदि कोई सदस्य किश्ती-खरीद-पद्धति पर गृह लेकर उसका पूरा मूल्य नहीं चुकाए किश्ती खरीद संविदा को विखंडित करे या संविदा की शर्तों का पालन न करे या किस्त, किराया, कर, आदि के भुगतान में अथवा किश्ती खरीद संविदा की किन्हीं अन्य शर्तों के सम्बन्ध में या अन्यथा चूक करे, तो वह गृह से बेदखल कर दिया जायगा और ऐसा बेदखल किया गया सदस्य उन किश्तों को जिन्हें उससे किश्त-खरीद-पद्धति के अधीन समिति को चुकाया हो और उस गृह के जिसे समिति समपहृत कर लेगी मूल्य मद्दे अपने द्वारा की गई प्रारम्भिक जमा की वापसी का हकदार न होगा । फिर भी निदेशक-बोर्ड अपने विवेकानुसार उसे ऐसी रकम लौटा सकेगा जिसे वह न्यायोचित समझे ।

(iv) गृह-किश्ती खरीद-करार में वे शर्तें और बन्धेज भी विनिर्दिष्ट

...22

Scanned with CamScanner

रहेंगे जो किश्ती-खरीद-पद्धति के अधीन गृह खरीदने के इच्छुक सदस्यों की समिति द्वारा किए गए पट्टे के सम्बन्ध में निदेशक-बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किए जाएं ।

(v) कोई भी सदस्य, निदेशक-बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना सम्पत्ति या उसके किसी भाग को न तो समनुदेशित करेगा, न उप-पट्टे पर देगा और न उसका कब्जा छोड़ेगा । जब कोई सदस्य गृह बेचना या अन्तरित करना चाहे तब पहला आफर समिति के बही-मूल्य पर किया जाएगा ।

किसी सदस्य द्वारा देय किश्त किराया, रेट और कर जिस महीने में वे देय हों उस महीने के बाद वाले महीने की 10 तारीख को या उसके पूर्व चुका दिये जायेंगे और ऐसा न करने पर अतिदेय (ओवरड्यू) रकम पर प्रति रुपया प्रति माह एक पाई की दर से ब्याज लगाया जायगा । यदि किसी किश्ती खरीदार के यहां किश्ती खरीद किश्त आदि संदेय बकाया छः महीनों से अधिक समय से बाकी हो तो वह अपनी अनुज्ञप्ति से बेदखली और उपर्युक्त उपविधि 47 (क) (iii) के अधीन कार्यवाई का भागी होगा ।

मरम्मत और सुख सुविधाएं

(ख) (i) निदेशक-बोर्ड गृहों की साधारण वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिए अपने द्वारा नियत दर पर, वार्षिक या आवधिक फीस लगा सकेगा ।

(ii) निदेशक-बोर्ड सामाजिक चिकित्सा सम्बन्धी आमोद-प्रमोदात्मक और ऐसी अन्य सुख-सुविधाओं की, जिन्हें वह सदस्यों के लिए आवश्यक समझे व्यवस्था कर सकेगा तथा सामान्य निकाय की बैठक के अनुमोदन से नियमों के अधीन यथाविहित दरों पर चन्दा लगा सकेगा ।

Scanned with CamScanner

संपरीक्षा और लाभ-वितरण

48। समिति की संविधिक (स्टैट्यूटरी) संपरीक्षा बिहार-उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम (बिहार एण्ड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 6, 1935) और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार की जाएगी ।

49। संविधिक (स्टैट्यूटरी) संपरीक्षा के अतिरिक्त, वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्त संपरीक्षक भी समिति के लेखे की संपरीक्षा कर सकेंगे ।

50। समिति का लेखा प्रतिवर्ष 30 जून को बन्द हो जायगा । संविधिक (स्टैट्यूटरी) संपरीक्षा के बाद, शुद्ध लाभ की व्यवस्था सामान्य बैठक में निम्नलिखित रूप में की जायगी :-

क। 35 प्रतिशत आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

ख। 10 प्रतिशत से अधिक राशि डूबन्त और शंकास्पद ऋण-निधि जमा की जा सकेगी ।

ग। 10 प्रतिशत से अनधिक राशि सामान्य भलाई-निधि में जमा की जा सकेगी ।

घ। समादत्त शेयर धनपर 6-$\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अनधिक लाभांश घोषित किया जा सकेगा ।

ङ। गृह-मूल्य के आधार पर रेबिट घोषित किया जा सकेगा । घोषित रिबेट सदस्यों को बाद तबतक देय नहीं होगा जबतक कि समिति का बकाया उनके यहाँ पड़ा हो । हरेक सदस्य को देय

Scanned with CamScanner

रकम उसके किस्तों खरीद लेखे में जमा कर दी जायगी ।

च) समिति के कर्मचारियों को बोनस के रूप में अधिक-से-अधिक एक महीने का वेतन दिया जा सकेगा ।

छ) यदि कोई शेष हो तो उसे आगे ले चला जायेगा ।

आरक्षित निधि

51(1) आरक्षित निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

क) अधिनियम के अधीन निधि में प्रतिवर्ष डाला गया शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत ;

ख) लाभ में से या अन्यथा इसमें आवंटित कोई अन्य रकम ;

ग) रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन वर्षों तक समिति को गठित करने में हुए प्रारम्भिक खर्चों को काटकर प्रवेश फीस ;

घ) समिति में समपहृत शेयरों का मूल्य ।

(2) आरक्षित निधि समिति की होगी और सदस्यों के बीच बाँटी न जायगी ।

(3) आरक्षित निधि निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए उपलब्ध होगी :-

(क) किन्हीं अपूर्वदृष्ट परिस्थितियों से हुई हानि को पूरा

करने के लिए, इस निधि से की गई ऐसी निकासियों की प्रतिपूर्ति यथा-संभव शीघ्र कर दी जायगी ;

(ख) समिति से की गई किसी ऐसी माग को पूरा करने के लिए, जिसकी पूर्ति अन्यथा न हो सकती हो, ऐसी भृतानों की प्रतिपूर्ति यथासंभव शीघ्र कर दी जायगी ;

(ग) किसी ऐसे कर्ज की प्रतिभूति के रूप में जो समिति को लेना पड़े ।

(4) समिति के विघटन की दशा में आरक्षित-निधि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार के अनुमोदन से, इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई विशेष बैठक में सदस्यों के बहुमत से अवधारित किये जाय ।

उप-विधियों में परिवर्तन

52) कोई भी उपविधि तबतक बनाई, परिवर्तित या निराकृत न की जायेगी जबतक कि --

(क) ऐसा करने का प्रस्ताव सदस्यों को, सामान्य बैठक की तारीख से दस दिन पहले, संसूचित न कर दिया गया हो;

(ख) संकल्प सामान्य बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित न कर दिया जाय, और

(ग) बनाया जाना, परिवर्तन या निराकरण रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा अनुमोदन और रजिस्ट्रीकृत न कर दिया जाए ।

...26

Scanned with CamScanner

प्रकीर्ण

53) किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा अथवा किसी मृत सदस्य की संपदा से समिति को शोध्य किसी ऋण के सम्बन्ध में, उस सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की जमा शेयर-पूंजी, निक्षेप और किसी अन्य धन पर समिति का भार होगा तथा समिति किसी सदस्य या भूतपूर्व या मृत सदस्य की संपदा के नाम जमा या उसे देय कोई राशि ऐसे किसी ऋण के भुगतान मद्दे मजरा कर सकेगी ।

54) जब कोई सदस्य, जिसके यहां धन बाकी हो कोई रकम चुकाए तो वह निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएगी :-

प्रथमतः उसके द्वारा शोध्य फीस, जुर्माने तथा डाक रजिस्ट्रीकरण और अन्य प्रकीर्ण चार्जों में,

द्वितीय व्याज में, और

तृतीयतः किसी ... किश्तों में ।

55) समिति बिहार-उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम (बिहार एण्ड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट) 6, 1935 और समिति को शासित करनेवाली नियमावली तथा अपनी उपविधियों की एक-एक प्रति अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी युक्तियुक्त समयों में निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रखेगी ।

56) यदि अधिनियम या किन्हीं उपविधियों के सम्बन्ध में कोई शंका उठे तो निदेशक-बोर्ड उसे रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार के विनिश्चय के लिए उसके पास भेज देगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

57) समिति की एक सामान्य मुहर होगी, जो अवैतनिक सचिव की अभिरक्षा में रहेगी ।

....27

Scanned with CamScanner